न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्या: 28/2024
दायर दिनांक: 02.07.2024
निर्णय दिनांक 24.03.2025

:: अनवान ::

श्री प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल जी कलाल आयु वयस्क निवासी पीपलीनगर हाल मुकाम भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

—— अपीलाण्ट

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

—— रेस्पोडेन्ट

तहसीलदार साहब भीम द्वारा फैसल नामान्तरकरण संख्या 1305 दिनांक 23.12.2001 के विरूद्ध अपील।

उपस्थित :—

1— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार साहब भीम द्वारा फैसल नामान्तरकरण संख्या 1305 दिनांक 23.12.2001के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पीपलीनगर तहसील भीम में अपीलाण्ट के खातेदारी आधिपत्य की आराजियात संख्या 1892,1897,1898,1907,1909,1915,1917,1975,1976, 1977 कुल किता 10 कुल रकबा 0.5767 हैक्टयर तथा आराजियात संख्या 3018,3019, 3020,3067,3069,3070,3097,3098,3099,3110,4530,4531,4532,4535,4536,4537,4538, 4539,4540,4793,4794 कुल किता 21 कुल रकबा 2.6263 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। अपीलाण्ट को प्रेमकुमार व बस्तीमल दोनो नामो से जाना जाता है। अपीलाण्ट का बोलता नाम बस्तीमल हैं, जबकि वास्तव में जन्म का व रेकार्ड का नाम प्रेम कुमार है। अपीलाण्ट के वर्णित आराजियात में अपीलाण्ट के पिता चुन्नीलाल जी की मृत्युपरान्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जो नामान्तरणकरण तस्दीक हुआ उसमें अपीलाण्ट का नाम बस्तीमल दर्ज हो गया, उक्त अंकन अपीलाण्ट के बोलते नाम के कारण हो गया। इस तथ्य की जानकारी अपीलाण्ट को जमाबन्दी की नकले शामलाती खातेदारी की आराजियात का विभाजन कराने हेतु निकलाई तो जाहिर आया कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम प्रेमकुमार अंकित नहीं होकर बोलता नाम बस्तीमल दर्ज हो गया। अपीलाण्ट ने इस संबंध में पटवारी हल्का से राजस्व अभिलेखो में वास्तविक नाम प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल जी अंकित करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय द्वारा नाम सुधारने के लिए कहा इस कारण अपीलाण्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। राजस्व अभिलेखो में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अंकित कराया जाना आवश्यक है बिना इसके अपीलाण्ट के अधिकारो पर प्रतिकुल असर पड़ने की संभावना बनी रहेगी और व्यर्थ की कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार साहब भीम द्वारा फैसल नामान्तरकरण संख्या 1305 दिनांक 23.12.2001 में अपीलाण्ट का नाम दुरस्त किया जाकर प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल जी किया जावें। एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त अनुसार सुधार किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपलीनगर तहसील भीम में अपीलाण्ट के खातेदारी आधिपत्य की आराजियात संख्या 1892,1897,1898, 1907,1909,1915,1917,1975,1976, 1977 कुल किता 10 कुल रकबा 0.5767 हैक्टयर तथा आराजियात संख्या 3018,3019,3020,3067,3069,3070,3097,3098,3099,3110, 4530,4531,4532,4535,4536,4537,4538,4539,4540,4793,4794 कुल किता 21 कुल रकबा 2.6263 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। अपीलाण्ट को प्रेमकुमार व बस्तीमल दोनो नामो से जाना जाता है। अपीलाण्ट का बोलता नाम बस्तीमल हैं, जबकि वास्तव में जन्म का व रेकर्ड का नाम प्रेम कुमार है। अपीलाण्ट के वर्णित आराजियात में अपीलाण्ट के पिता चुन्नीलाल जी की मृत्युपरान्त जो नामान्तरणकरण तस्दीक हुआ उसमें अपीलाण्ट का नाम बस्तीमल दर्ज हो गया, उक्त अंकन अपीलाण्ट के बोलते नाम के कारण हो गया। इस तथ्य की जानकारी अपीलाण्ट को जमाबन्दी की नकले शामलाती खातेदारी की आराजियात का विभाजन कराने हेतु निकलाई तो जाहिर आया कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम प्रेमकुमार अंकित नहीं होकर बोलता नाम बस्तीमल दर्ज हो गया। अपीलाण्ट ने इस संबंध में पटवारी हल्का से राजस्व अभिलेखो में वास्तविक नाम

न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल जी अंकित करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय द्वारा नाम सुधारने के लिए कहा इस कारण अपीलाण्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। राजस्व अभिलेखो में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अंकित कराया जाना आवश्यक है बिना इसके अपीलाण्ट के अधिकारो पर प्रतिकुल असर पड़ने की संभावना बनी रहेगी और व्यर्थ की कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार साहब भीम द्वारा फैसल नामान्तरकरण संख्या 1305 दिनांक 23.12.2001 में अपीलाण्ट का नाम दुरस्त किया जाकर प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल जी किया जावें। एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त अनुसार सुधार किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने तहसीलदार भीम द्वारा राजस्व ग्राम पीपलीनगर तहसील भीम के निर्णित नामान्तरणकरण संख्या 1305 दिनांक 23.12.2001 के विरूद्ध अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि अपीलांट को प्रेमकुमार व बस्तीमल दोनो नामो से जाना जाता है, अपीलांट का बोलता नाम बस्तीमल है जबकि वास्तव में जन्म व रेकार्ड का नाम प्रेमकुमार हैं। वादग्रस्त भूमियों में अपीलांट के पिता चुन्नीलाल जी की मृत्युपरान्त जो नामान्तरण तस्दीक हुआ उसमें अपीलांट का नाम बस्तीमल दर्ज हो गया, जो कि अपीलांट का बोलता नाम हैं। अतः तहसीलदार भीम द्वारा फैसल नामान्तरकरण संख्या 1305 दिनांक 23.12.2001 में अपीलाण्ट का नाम दुरस्त किया जाकर प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल जी किया जावें।

उक्त क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम पीपलीनगर तहसील भीम के नामान्तरणकरण संख्या 1305 के अवलोकन पर पाया कि चुन्नीलाल पिता नन्दराम फौत होने से वादग्रस्त भूमियों का विरासत से चुन्नीलाल के बजाय उनके वारिसान कन्हैया लाल, मदनलाल, बस्तीमल पिता चुन्नीलाल, राजीबाई बेवा चुन्नीलाल के नाम पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज किया व उक्त नामान्तरण की भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई व तहसीलदार भीम द्वारा उक्त नामान्तरण निर्णित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के पहचान संबंधी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेंस में अपीलांट का नाम प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल अंकित हैं व सरपंच ग्राम पंचायत भीम ने भी इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया कि "श्री प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी पिपलीनगर हाल मुकाम भीम का होकर प्रेमकुमार का बोलता नाम बस्तीमल हैं। दोनो नाम के एक ही व्यक्ति हैं अन्य कोई व्यक्ति नही हैं।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि सरपंच ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रेमकुमार व बस्तीमल दोनो एक ही

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

व्यक्ति हैं। प्रेमकुमार का बोलता नाम बस्तीमल हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पहचान संबंधी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेंस में अपीलांट का नाम प्रेमकुमार पिता चुन्नीलाल अंकित हैं जबकि प्रश्नगत नामान्तरण में अपीलांट का नाम बस्तीमल दर्ज कर दिया गया जो कि अपीलांट का बोलता नाम हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कंरने में विधि व तथ्य संबंधी भूल की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1305, दिनांक 23.12.2001 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भीम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक चुन्नीलाल पिता नन्दराम के विधिक वारीसान की नियमानुसार जांच कर पुनः नामान्तरकरण निर्णित करें।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद